

हरियाणा सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2014

संख्या का०आ० 1/के०अ० 10/1994/घा० 41/2014.—मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 10), की धारा 41 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये नियम हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग, अध्यक्ष तथा सदस्य (वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तों) नियम, 2014 कहे जा सकते हैं। संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

2. (1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,- परिभाषाएँ।

(क) "अधिनियम" से अभिप्राय है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम 10);

(ख) "राज्यपाल" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य का राज्यपाल;

(ग) "राज्य सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो उन्हें क्रमशः इस अधिनियम में दिए गए हैं।

3. (1) अध्यक्ष को ऐसे वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन तथा भत्तों के बराबर हो। वेतन।

(2) अन्य सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्तों का भुगतान किया जाएगा जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन तथा भत्तों के बराबर हो :

परन्तु यदि अध्यक्ष या सदस्य उनकी नियुक्ति के समय किसी संघ सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में पेंशन (निःशक्ता या क्षति पेंशन से अन्यथा) लेने के लिए पात्र था, अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उनका वेतन निम्न प्रकार से घटा दिया जाएगा,-

(i) उस पेंशन की राशि से;

(ii) यदि वह पद ग्रहण करने से पूर्व ऐसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में उसको देय पेंशन के भाग के बदले में, प्राप्त कर रहा था, तो पेंशन के उस भाग की राशि से उसका संराशित मूल्य; तथा

(iii) उस द्वारा किसी अन्य रूप में लिये जा रहे या प्राप्त किए गए या लिए जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले सेवा निवृत्ति के लाभों से।

4. (1) राज्य आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य हरियाणा सरकार के सचिव को छुट्टी। समय-समय पर लागू शर्तों के अनुसार छुट्टी लेने के हकदार होंगे।

(2) राज्य आयोग में पदावधि की समाप्ति पर, अध्यक्ष या सदस्य, जैसी भी स्थिति हो, उसके खाते में जमा पड़ी अर्जित अवकाश के सम्बन्ध में अवकाश वेतन के समकक्ष नकदी प्राप्त करने का हकदार होगा जो इस उप नियम के अधीन अधिकतम अवकाश भुनाने या पूर्व सेवा से सेवा-निवृत्ति के समय पर, जैसी भी स्थिति हो, या दोनों को मिलाकर, किसी भी दशा में तीन सौ दिन से अधिक नहीं होगा के अध्यक्षीन होगा।

(3) अध्यक्ष तथा सदस्य राज्य आयोग में उनके पद को छोड़ने की तिथि से लागू दर पर उपनियम (2) के अधीन अवकाश वेतन पर यथा अनुज्ञेय महंगाई भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे:

परन्तु वे ऐसे अवकाश वेतन पर शहर प्रतिपूरक भत्ता या किसी अन्य भत्ते के लिए हकदार नहीं होंगे।

(4) यदि उच्च न्यायालय का आसीन न्यायाधीश सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उपनियम (1), (2) या (3) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 के अध्याय-II के उपबन्ध उसको उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश के रूप में उसकी सेवा-निवृत्ति की तिथि तक लागू होंगे और उसके बाद वह इस नियम के उपनियम (1) से (3) के उपबन्धों के अनुसार अवकाश तथा अवकाश भुनाने के लिए हकदार होगा।

अवकाश/यात्रा
रियायत।

5. अध्यक्ष तथा सदस्य ऐसे अवकाश यात्रा रियायत के हकदार होंगे जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को अनुज्ञेय हो।

अवकाश देने के लिए
राक्षम प्राधिकारी।

6. अध्यक्ष या सदस्य को अवकाश देने या इन्कार करने की या उसके अवकाश को रद्द करने या कग करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी।

यात्रा भत्ता।

7. अध्यक्ष या सदस्य दौरे के समय (राज्य आयोग में कार्य ग्रहण करने की यात्रा तथा राज्य आयोग से उसकी पद अवधि की समाप्ति पर उसके गृह नगर में जाने की यात्रा शामिल हैं), यात्रा भत्ता, परिवहन के लिए भत्ता तथा अन्य समरूप मामले तथा दैनिक भत्ते उसी दर पर लेने का हकदार होगा जो पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश, जैसी भी स्थिति हो, को अनुज्ञेय हैं।

सेवा की अन्य शर्तें।

8. निःशुल्क किराया आवास, वाहन सुविधाओं, चिकित्सा सुविधाओं के उपबन्ध से सम्बन्धित सेवा शर्त तथा ऐसी अन्य सेवा शर्तें जो समय-समय पर पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश को लागू हैं क्रमशः अध्यक्ष तथा सदस्यों को भी लागू होंगी।

अवशिष्ट उपबन्ध।

9. अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा शर्तें जिनके लिए इन नियमों में कोई स्पष्ट उपबन्ध नहीं किया गया है भारतीय प्रशासकीय सेवा से सम्बन्धित हरियाणा सरकार के सचिव को तत्समय लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा अवधारित की जायेगी।

नियमों में ढील देने
की शक्ति।

10. राज्य सरकार को व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्गों के सम्बन्ध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों में ढील देने की शक्ति होगी।

पी०के० गुप्ता,

अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

गृह विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

HOME DEPARTMENT

Notification

The 3rd January, 2014

No. S.O. 1/C.A. 10/1994/S. 41/2013.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub section (2) of section 41 of the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act 10 of 1994), the Governor of Haryana hereby makes the following rules, namely:—

1. (1) These rules may be called the Haryana State Human Rights Commission, Chairperson and Members (Salaries, Allowances and other terms and conditions of Service) Rules, 2014;

Short title and commencement.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

Definitions.

(a) "Act" means the Protection of Human Rights Act, 1993 (Central Act 10 of 1994);

(b) "Governor" means the Governor of the State of Haryana.

(c) "State Government" means the Government of the State of Haryana in the Administrative Department.

3. (1) The Chairperson shall be paid salary and allowances which are equal to the salary and allowances of the Chief Justice of High Court of Punjab and Haryana;

Salary

(2) Other Members shall be paid salary and allowances, which are equal to the salary and allowances of a Judge of the High Court of Punjab and Haryana:

Provided that if the Chairperson or a Member at the time of his appointment was eligible to draw a pension (other than disability or wound pension) in respect of any previous service under the Government of the Union or Government of a State, his salary in respect of Service as a Chairperson or Member, as the case may be, shall be reduced,—

(i) by the amount of that pension;

(ii) if he had, before assuming office, received, in lieu of a portion of pension due to him in respect of such previous Service, the commuted value thereof, by the amount of that portion of the pension; and

(iii) by any other form of retirement benefits, being drawn or availed of or to be drawn or availed of by him.

Leave.

4. (1) The Chairperson and Members of the State Commission shall be entitled to avail leave as per term applicable from time to time to the Secretary to Government of Haryana.

(2) On the expiry of the term of office in the State Commission, the Chairperson or a Member, as the case may be, shall be entitled to receive cash equivalent to leave salary in respect of earned leave standing to his credit subject to the condition that a maximum of leave encashed under this sub-rule or at the time of retirement from previous service, as the case may be, or taken together, shall not in any case, exceed three hundred days.

(3) The Chairperson and Members shall be entitled to receive dearness allowance as admissible on the leave salary under sub rule (2) at the rates in force on the date of relinquishment of their office in the State Commission:

Provided that they shall not be entitled to City Compensatory Allowance or any other allowance on such leave salary.

(4) If a sitting Judge of the High Court is appointed as a Member, then notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2) or (3), the provisions of Chapter-II of the High Court Judges (Conditions of Service) Act, 1954, shall apply to him up to the date of his superannuation as sitting Judge of the High Court and thereafter he shall be entitled to leave and leave encashment in accordance with the provisions of sub-rules (1) to (3) of this rule.

Leave Travel
Concession.

5. The Chairperson and the Members shall be entitled to leave travel concession as is admissible to the Chief Justice or a Judge of the High Court of Punjab and Haryana, as the case may be.

Authority
competent to
grant leave.

6. The power to grant or refuse leave to the Chairperson or a Member and to revoke or curtail leave granted to him, shall vest with the Governor.

Traveling
Allowance.

7. The Chairperson or a Member, while on tour (including the journey undertaken to join the State Commission and on the expiry of his term with the State Commission to proceed to his home town), shall be entitled to travel allowance, allowance for transportation and other similar matters and daily allowances at the same rates as are admissible to the Chief Justice or a Judge of the High Court of Punjab and Haryana, as the case may be.

Other conditions
of service.

8. The conditions of service relating to provision of rent free accommodation, conveyance facilities, medical facilities and such other conditions of service as are for the time being applicable to the Chief Justice or a Judge of the High Court of Punjab and Haryana, shall apply to the Chairperson and the Members, respectively.

9. The conditions of service of the Chairperson and the Members, for which no express provision is made in these rules, shall be determined by the rules and orders for the time being applicable to a Secretary to Government of Haryana, belonging to the Indian Administrative Service.

Residuary provisions.

10. The State Government shall have the power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or category of persons.

Power to relax rules.

P.K. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Home Department.